

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र,
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय:- सर्वश्री माउन्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लि०, पटना के लेबुलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1302 दिनांक-03.04.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री माउन्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लि०, पटना द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुल को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से नवीकृत किया जाता है।

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	प्रिमियम थंडर बोल्ट स्ट्रॉंग बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2443/11-12	2443/12-13
2	थंडर बोल्ट गोल्ड स्ट्रॉंग बीयर (5 प्रतिशत से अधिक एवं 8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2446/11-12	2446/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुल को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुल को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत लेबुल पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन/

(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापक:- 3/एफ2-140-29/2006

१०३३

पटना, दिनांक:- 12-4-12

प्रतिलिपि :-सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी० एस० बी० सी० एल०, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री माउन्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र,
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सहा. में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय:- सर्वश्री माउन्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लि०, गुन्टी, बेहरौर जिला-अलवर, राजस्थान के लेबुलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1319 दिनांक-04.04.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री माउन्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लि०, गुन्टी, बेहरौर जिला-अलवर, राजस्थान द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुल को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से नवीकृत किया जाता है।

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	थंडर बोल्ट प्लेटिनम स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2606/11-12	2606/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुल को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुल को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत लेबुल पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

12/4/12
(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140-29/2006

2034

पटना, दिनांक:- 12-4-12

प्रतिलिपि :-सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबंध निदेशक, बी० एस० बी० सी० एल०, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री माउन्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लि०, गुन्टी, बेहरौर जिला-अलवर, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/4/12
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

12-4

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय: सर्वश्री माउन्ट शिवालिक ब्रिवरीज लि०, पटना के लेबुलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-2013 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1303 दिनांक 03.04.12 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री माउन्ट शिवालिक ब्रिवरीज लि०, पटना द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से नवीकृत किया जाता है।

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	थंडर बोल्ट प्रिमियम स्ट्रॉग बीयर (केन) (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	500 (केन)	2283/11-12	2283/12-13
2	थंडर बोल्ट प्रिमियम स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	2222/11-12	2222/12-13
3	थंडर बोल्ट प्लेटिनम स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2618/11-12	2618/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार मिश्र)
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3/एफ2-140-29/2006

2032

पटना, दिनांक:- 12-4-12

प्रतिलिपि :-सभी उपायुक्त उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद/प्रबध निदेशक, बी० एस० बी० सो० एल०, पटना/प्राधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री माउन्ट शिवालिक ब्रिवरीज लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु